

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

संघिका सं०-०३/३०नि०/विधि(IED)-१२-०५/२०१७

आदेश

वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत **उद्यमिता विकास संस्थान पटना** को बेरोजगार युवको/युवतियों के प्रशिक्षण देने हेतु कुल भुगतान की गयी राशि ₹७४,९७,६००.०० (चौहत्तर लाख सन्तानवे हजार छः सौ मात्र) में से IED Patna द्वारा संलग्न परिशिष्ट के अनुसार व्यय की राशि ₹६८,३७,६००.०० (अड़सठ लाख सैत्तीस हजार छः सौ मात्र) की समायोजन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

२. उक्त राशि का समायोजन उद्योग विभाग के वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में राज्यादेश पत्रांक-१२७७ दिनांक-३१.०३.२०१६ के कंडिका-०९ के आलोक में की जायेगी।

३. IED पटना से प्राप्त शेष बची राशि ₹६,६०,०००.०० (छः लाख साठ हजार रुपये) को संबंधित योजना के शीर्ष में राशि प्रत्यार्पित की जायेगी।

४. वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में उक्त राज्यादेश ज्ञापांक १२७७ दिनांक ३१.०३.२०१६ के आलोक में IED पटना से प्राप्त मूल अभिश्रव (संलग्न) एवं प्रशिक्षणार्थियों की सूची के आधार पर डी०सी० विपत्र महालेखाकार पटना को भेजा जाएगा।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार,पटना।

ज्ञापांक...../

पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक
बिहार,पटना।

ज्ञापांक...../

पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक
बिहार,पटना।

ज्ञापांक...../

पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि :- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को विपत्र की मूल प्रति आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त विपत्रों का डी०सी०विपत्र महालेखाकार बिहार पटना कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित की जाय।

अनु०-

ह०/-

उद्योग निदेशक
बिहार,पटना।

ज्ञापांक...../

पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/आय-व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-०१(स०), (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, (योजना) उद्योग विभाग/(IED) पटना /आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक
बिहार,पटना।

२०/०३/१७